"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 मई 2005—वैशाख 26, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 13 मई 2005

क्रमांक 4357/21-अ/प्रारुपण/04. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-5-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (एक) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ (विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा.

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 4 क-में शब्द ''पांच हजार'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार'' स्थापित किया जाये.

धारा 4-ख का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में शब्द ''दो हजार'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार'' स्थापित किया जाये.

धारा 4-ग का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उपधारा (एक) एवं (दो) में शब्द ''दो सौ पचास'' के स्थान पर शब्द ''पांच सौ पंचानबे'' स्थापित किया जाये.

धारा 4-घ का लोप. 5. मूल अधिनियम की धारा 4-घ का लोप किया जाये.

धारा 7-1 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 7-1 में शब्द ''तीन हजार'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार छः सौ पचास'' स्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2005

क्रमांक 4357/21-अ/प्रारुपण/04. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 5 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2005)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION), (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Sixth Year of the Repubilc of India as follows :-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh (Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension), (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

Amendment of Section 4-A.

2. In Section 4-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Five Thousand" the words "One Thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4-B.

3. In Section 4-B of the Principal Act for the words "Two Thousand" the words "One Thousand" shall be substitued.

Amendment of Section 4-C.

4. In sub-section (i) and (ii) of Section 4 of the Principal Act for the words "Two Hundred Fifty" the words "Five Hundred Ninety Five" shall be substituted.

Omission of Section 4-D.

5. Section 4-D of the Principal Act, shall be "omitted".

Amendment of Section 7-1.

6. In Section 7-1 of the Principal Act, for the words "Three Thousand" the words "One Thousand Six Hundred Fifty" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.